Date : 13 मई 2023

भारत और खाड़ी देश

संदर्भ- सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएस, यूएई और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच रियाद में सप्ताहांत की बैठक खाड़ी में दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बढ़ते रणनीतिक अभिसरण को रेखांकित करती है। यह अरब प्रायद्वीप में भारत की नई संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है।
वर्तमान में खाड़ी देशों में चीन का प्रभाव है और अमेरिका खाड़ी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों के अनुसार अमेरिका और खाड़ी देशों की कार्यवाहियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जबकि भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से खाड़ी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

खाड़ी देश- खाड़ी देश, फारस की खाड़ी से लगे देशों के लिए संदर्भित शब्द है। यह सभी देश खाड़ी सहयोग परिषद में सम्मिलित हैं और ये देश हैं-

- बहरीन
- कुवैत
- ओमान
- कतर
- सउदी अरब
- संयुक्त अरब अमीरात

गुटनिरपेक्ष नीति और ध्रुवीय विचारधारा पर भारत के कदम

भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष रही है, जो स्वतंत्र राजनीति व अहस्तक्षेप पर आधारित होती है। भारत की विदेश नीति द्वारा लिए गए निर्णय अधिकतर लीक से हटकर रहे हैं, जो अन्य देशों के लिए नए उदाहरण साबित हुए हैं। जैसे-

- भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती के साथ ही भारत अमेरिका संबंधों को अवास्तविक अथवा विदेश नीति के नए पहलू के रूप में देखा जा रहा था।
- 1992 से पहले भारत व इजराइल के मध्य कोई व्यवहार नहीं था इसके साथ ही भारत, फिलीस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक था। इजराइल और फिलीस्तीन दोनों एक विशेष क्षेत्र के लिए परस्पर विरोधी थे। किंतु भारत ने एकपक्षीय विचारधारा की परंपरा से हटते हुए इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए।
- प्रारंभ में अपने सीमित संसाधनों के कारण खाड़ी व पड़ोसी देशों के साथ मित्रता या अन्य राजनीतिक व आर्थिक संबंध के स्थान पर भारत ने देश की आंतरिक स्थिति को मजबूत करने का मार्ग चुना। जिससे खाड़ी देशों के साथ भारत पूर्व में संबंधित नहीं था।

- भारत के खाड़ी देशों के साथ पूर्व में कोई संबंध न होने के बावजूद वह I2U2 समूह में शामिल है। जिसमें भारत, इंडोनेशिया, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हैं।

भारत व खाड़ी देशों के संबंधों का प्रभाव

व्यापार- भारत व खाड़ी देशों के बीच आर्थिक व व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। भारत व खाड़ी देशों के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यक्रम के साथ पर्यटन व विकास कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करता है। 2021-22 में खाड़ी का कुल व्यापार 189 अरब डॉलर व्यापार का रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा- खाड़ी देश प्रमुखतया तेल और गैस उत्पादक देश हैं, भारत तेल व गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत के इन देशों से अच्छे संबंध भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत के साथ खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात, अरब, कतर व कुवैत **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** के सदस्य हैं।

डायस्पोरा- डायस्पोरा का अर्थ होता है किसी देश के विशेष समूह का देश के बाहर किसी अन्य देश में निवास करना। भारत का एक बड़ा समूह खाड़ी देशों में निवास करता है। खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध, भारतीय डायस्पोरा श्रमिकों की खाड़ी देशों में सुरक्षा व अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

भारत – खाड़ी देशों की चुनौतियाँ

चीन का वर्चस्व- अमेरिका के पुराने सहयोगी व भारत के करीबी होने के साथ, चीन का खाड़ी देशों पर प्रभुत्व जारी है। जो खाड़ी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

क्षेत्रीय अस्थिरता-मध्य एशिया में बढ़ती अस्थिरता जैसे सीरियाई गृहयुद्ध, ISIS चरमपंथियों की गतिविधियों के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता बनी हुई है। इसके साथ ही खाड़ी देशों के करीबी देश सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण खाड़ी देशों में अस्थिरता बनी हुई है। जो उनके विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

व्यापारिक केंद्र- मध्य एशिया प्रारंभ से ही वैश्विक व्यापार का केंद्र रहा है , प्रारंभ में यह सिल्क रूट के मध्य स्थित था। जिस कारण यह विश्व के सबसे व्यस्त मार्गों में एक है। अतः खाड़ी देशों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता व गृहयुद्ध की स्थिति के कारण भी यह भारत के साथ मध्य एशियाई देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह-

- भारत व खाड़ी देशों को सांस्कृतिक रूप से एक साथ लाने के प्रयास किए जा सकते हैं।
- परस्पर देशों के पर्यटन व शिक्षा को बढ़ावा देना।
- तेल व गैस के व्यापार पर ही निर्भर न रहकर नवीकरणीय स्रोतों व अन्य उत्पादों के व्यापार के लिए देशों को सहयोग दिया जा सकता है।

स्रोत

Indian Express

Gunjan Joshi

yojnaias.com

सम्प्रभुता

संदर्भ- हाल ही में कर्नाटक चुनाव प्रचार में कांग्रेस के बयान में आए सम्प्रभुता शब्द की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्याख्या की। उनके अनुसार स्वतंत्र देश को सम्प्रभु देश कहा जाता है। उन्होंने कहा कांग्रेस के बयान में कर्नाटक की सम्प्रभुता की रक्षा करने की बात कही गई है, क्या कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है?
वास्तव में कांग्रेस ने सम्प्रभु शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इन बयानों के कारण **सम्प्रभुता** शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है।

सम्प्रभुता-

- सम्प्रभुता शब्द latin sovereignty के sovereign से उत्पन्न हुआ है, जिसे सर्वोच्च से परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर सम्प्रभुता(sovereignty) का अर्थ सर्वोच्च शक्ति है।
- सम्प्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन बोदां के द्वारा Six book of concerning republic में किया था।
- सम्प्रभुता केवल एक परिभाषित क्षेत्र पर सर्वोच्च अधिकार रखने का विचार है।
- संप्रभुता एक परिभाषित क्षेत्र पर सर्वोच्च अधिकार रखने का विचार है। 17वीं शताब्दी के बाद से, पश्चिमी दार्शनिकों ने राज्य की सर्वोच्चता का वर्णन करने के लिए इस अवधारणा का उपयोग किया। इसके संस्थानों जैसे कि सरकार, न्यायपालिका और संसद के साथ-साथ लोगों पर शासन किया जाता है।

सम्प्रभुता की परिभाषा – विभिन्न विचारकों के अनुसार सम्प्रभुता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं

- ह्यूगो ग्रोटियस – "संप्रभुता उसके पास निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं हैं और जिसकी इच्छा की अवहेलना नहीं की जा सकती है।"
- जेडब्ल्यू बर्गेस- "व्यक्तिगत विषय और विषय के अन्य सभी संघों पर मूल, पूर्ण और असीमित शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। यह आज्ञाकारिता को आदेश देने और बाध्य करने की एक अव्युत्पन्न और स्वतंत्र शक्ति है।"
- डब्ल्यूडब्ल्यू विलोबी के लिए, "संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। "
- वुडरो विल्सन के अनुसार, "संप्रभुता कानूनों को बनाने और कानूनों के प्रभाव को बनाए रखने की दैनिक क्रियात्मक शक्ति है।"

सम्प्रभुता के दो भाग हैं, आंतरिक समप्रभुता व बाहरी सम्प्रभुता।

आंतरिक समप्रभुता –

- आंतरिक समप्रभुता की अवधारणा को फ्रांसीसी लेखक जीन बोडिन ने पेश किया था।
- आंतरिक संप्रभुता राज्य की पूर्ण और अंतिम शक्ति को संदर्भित करती है।
- यह राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी नागरिकों, संगठनों और संघों पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने की अनुमति देता है।
- राज्य, कानून की स्थापना कर कानून को लागू कर सकता है और जिसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करके नियंत्रित कर सकता है।
- आंतरिक संप्रभुता, राज्य के आंतरिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को देती है।

बाह्य सम्प्रभुता

- बाहरी सम्प्रभुता के सिद्धांत को ह्यूगो ग्रोटियस द्वारा पेश किया गया था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में जाना जाता है। बाहरी संप्रभुता का अर्थ है सभी राज्यों की "संप्रभु समानता" ।
- बाह्य शब्द का अर्थ सभी राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान दर्जे में निहित है और कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य पर नियंत्रण या अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- बाहरी संप्रभुता में, किसी भी राज्य के पास युद्ध और शांति की घोषणा जैसे सभी आंतरिक मामलों पर पूर्ण विवेकाधिकार हो सकता है।
- कोई भी राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र है।
- बाहरी संप्रभुता में एक राज्य, दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सम्प्रभुता के लक्षण

- **मौलिकता-** यह राज्य की मूल शक्ति है, कोई भी आंतरिक या बाहरी संगठन राज्य को अपनी संप्रभुता नहीं सौंप सकता। कोई भी राज्य अपनी सम्प्रभुता को किसी अन्य राज्य को नहीं सौंप सकता।
- **स्थायित्व-** जब तक राज्य विद्यमान है तब तक राज्य की सम्प्रभुता बनी रहेगी। अतः राज्य की सम्प्रभुता स्थायी होती है।
- **अद्वैत-** राज्य के भीतर दो सम्प्रभुता नहीं हो सकती।

भारतीय संविधान में सम्प्रभुता

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है जो संविधान का लघु रूप है। प्रस्तावना में सम्प्रभु शब्द का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है।
महान न्यायविद दुर्गा दास बसु ने लिखा है कि भारतीय संविधान में 'संप्रभुता' शब्द का प्रयोग "भारत के लोगों की परम संप्रभुता की घोषणा करने के लिए किया गया है और यह कि संविधान उनके अधिकार पर टिका है "।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मौलिक कर्तव्यों के तहत संविधान में संप्रभुता का उल्लेख किया गया है , जिसका पालन सभी भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाना है लेकिन कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 51ए (सी) में कहा गया है कि "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना" सभी नागरिकों का कर्तव्य है।
शपथपत्र- तीसरी अनुसूची के तहत मुख्य न्यायाधीशों , केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों जैसे पदों के लिए ली गई शपथ में भी इसका उल्लेख है: "...मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा , कि मैं संप्रभुता को बनाए रखूंगा और भारत की अखंडता..."

भारतीय सम्प्रभुता की व्याख्या है-

- भारत देश न तो किसी देश का डोमिनियन है और न ही किसी देश पर निर्भर है।
- भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
- भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य होते हुए भी संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटेन पर निर्भर नहीं है।
- भारत, देश की सीमा से संबंधित मामलों जैसे किसी देश द्वारा भारतीय सीमा के अधिग्रहण व किसी अन्य देश की सीमा पर भारत के अधिग्रहण जैसे मामलों के लिए किसी भी देश, राज्य या संगठन पर निर्भर नहीं है।

स्रोत
indianexpress.com

Gunjan Joshi